उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा की हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2026 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक का आयोजन मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 16.04.2026 को प्रशासनिक भवन के ई0सी0 हॉल में किया गया। हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. प्रो. (डॉ.) रमाकांत यादव, प्रति कुलपति।
2. प्रो. (डॉ.) आदेश कुमार, संकायाध्यक्ष, चिकित्सा अधीक्षक।
3. प्रो. (डॉ.) एस. पी. सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
4. प्रो. (डॉ.) अमित सिंह, चिकित्सा अधीक्षक।
5. श्री दीपक वर्मा, कुलसचिव।
6. प्रो. (डॉ.) विजय मिश्रा, प्रॉक्टर।
7. प्रो. (डॉ.) ऊषा शुक्ला, विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसियोलॉजी विभाग।
8. प्रो. (डॉ.) राजेश कुमार वर्मा, विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग।
9. प्रो. (डॉ.) रवि रंजन, विभागाध्यक्ष, नेत्र विभाग।
10. प्रो. (डॉ.) सीमा दयाल, विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी विभाग।
11. प्रो. (डॉ.) विजय कुमार वर्मा, विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग।
12. प्रो. (डॉ.) अतुल कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष, दंत विभाग विभाग।
13. प्रो. (डॉ.) प्रशान्त मिश्रा, विभागाध्यक्ष, ईमरजेन्सी मेडिसिन विभाग।
14. प्रो. (डॉ.) जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान, विभागाध्यक्ष, ई.एन.टी. विभाग।
15. प्रो. (डॉ.) दुर्गेश कुमार, उप–चिकित्सा अधिक्षक, आई.पी.डी.
16. प्रो. (डॉ.) कैलाश मित्तल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग।
17. प्रो. (डॉ.) आदिल रहमान, विभागाध्यक्ष, बायोकैमिस्ट्री विभाग।
18. प्रो. (डॉ.) मुबाशिर अली खान, विभागाध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग।
19. प्रो. (डॉ.) अतुल सक्सेना, विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी विभाग।
20. प्रो. (डॉ.) सजग कुमार गुप्ता, विभागाध्यक्ष, न्यूरोसर्जरी विभाग।
21. प्रो. (डॉ.) सुभाष चन्द्र, विभागाध्यक्ष, कार्डियोलॉजी विभाग।
22. प्रो. (डॉ.) डी. पी. सिंह, सेन्ट्रल लैब इंचार्ज।
23. प्रो. (डॉ.) ज्योति कला भारती, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग।
24. प्रो. (डॉ.) यतेन्द्र मोहन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग।
25. प्रो. (डॉ.) धीरेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक (सामग्री प्रबंधन)।
26. प्रो. (डॉ.) दीपक कुमार, माइक्रोबायोलॉजी विभाग।
27. डॉ. अंकित मित्तल, उप–चिकित्सा अधीक्षक, इमरजेन्सी एवं ट्रामा।
28. डॉ. अंकित सचान, उप–चिकित्सा अधीक्षक, सुपर–स्पेशलिटी ओ.पी.डी.।
29. डॉ सिद्धार्थ कुमार, उप–चिकित्सा अधीक्षक।
30. श्रीमती लवली जेम्स, मुख्य नर्सिंग अधिकारी।

चिकित्सा अधीक्षक
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
UPUMS, Saifai

31. श्री कृष्ण पाल सिंह, अधिशासी अभियंता।
32. अनुराधा सिंह राजपूत, चीफ फार्मासिस्ट।
33. श्री मनोज कुमार मौर्य, सीनियर एम.एस.एस.ओ.।

विश्वविद्यालय के चिकित्सालय के सुचारू संचालन, चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता, संसाधनों के समुचित उपयोग एवं रोगी कल्याण संबंधी प्रभावी निर्णय लिये जाने हेतु हॉस्पिटल बोड की द्वितीय बैठक में प्रस्तुत एजेण्डावार प्रस्तावों पर विचार–विमर्श के उपरान्त हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा की गयी लिए गए निर्णय एवं संस्तुतियॉ निम्नवत है :–

एजेण्डा बिंदु/विषय	एजेण्डा टिप्पणी
<u>एजेण्डा बिंदु</u> 2.1 **हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**	हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 के कार्यवृत्त को मा0 कार्यपरिषद की 14वीं बैठक में दिनांक 08.12.2025 को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। मा0 कार्यपरिषद द्वारा हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त में की गई संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u> :– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।	
<u>एजेण्डा बिंदु</u> 2.2 विश्वविद्यालय के ट्रामा बिल्डिंग में स्थापित सी0टी0 स्कैन मशीन एवं प्रस्तावित एम0आर0आई0 की ऑन साइट रिपोर्टिंग/टेली रिपोर्टिंग एवं USG/Doppler USG/USG Guided Biopsy/Drainage/ FNAC इत्यादि हेतु रेडियोलॉजिस्ट की सेवा प्राप्ति हेतु ।	<u>प्रस्तावना</u> : अवगत कराना है कि हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 26.11.2025 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में कार्यालय आदेश संख्याः 1075/178/ एचबी/एमएस/यूपीयूएमएस/2025 –26 दिनांक 04 फरवरी, 2026 के माध्यम से विश्वविद्यालय में जब तक नियमित रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए ओपेन सर्विस टेंडर/वाक इन इंटरव्यूह के माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट की सेवा लिए जाने हेतु समिति का गठन किया गया था। <u>प्रस्ताव</u> : मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में दिनांक 07.02.2026 को आयोजित 06 सदस्यीय समिति (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डा0 सिद्धार्थ कुमार, सहायक प्रोफेसर, रेडिएशन ऑनकोलॉजी, डॉ0 निर्मल कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन0एफ0एस0जी0),श्री राकेश अग्रवाल, लेखाधिकारी) की बैठक में समिति सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय ग्रामीण अंचल में स्थापित है तथा विश्वविद्यालय द्वारा रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति हेतु बार–बार प्रयास किए गये हैं, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो पा रही है । अतः मरीजों के हित में विश्वविद्यालय की छवि को देखते हुए तथा रोगी उपचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए समिति सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित निम्नलिखित बिंदुओं को हॉस्पिटल बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत :–

चिकित्सा अधीक्षक
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
UPUMS, Saifai

	1. विश्वविद्यालय में आकस्मिक रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता को देखते हुए वाक इन इन्टरव्यू के माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट की संविदा पर नियुक्ति करने पर (संविदा) असिस्टेंट प्रोफेसर के नियत वेतन रू0 1,20,000/–की धनराशि के अतिरिक्त रू0 30,000/– मात्र कुल धनराशि रू0 1,50,000/–मात्र का भुगतान प्रतिमाह किया जा सकता है। 2. यदि उक्तानुसार संविदा पर फुल टाईम (08 घंटे) रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो पाये तो अल्ट्रासाउण्ड/एक्सरे/सी0टी0 स्कैन के रिपोर्टिंग हेतु रेडियोलॉजिस्ट की पार्ट टाईम सेवाएं ली जा सकती हैं, जिसमें 04 घंटे की सेवा प्रतिदिन उपलब्ध कराने पर रू 5000/– मात्र पारिश्रमिक का भुगतान किया जा सकता है। 04 घंटे की सेवा के उपरान्त अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने पर या इमरजेंसी में अल्ट्रासाउण्ड हेतु बुलाए जाने पर रेडियोलॉजिस्ट को प्रति अल्ट्रासाउण्ड की निर्धारित दर का 85 प्रतिशत भुगतान किया जा सकता है। 3. इसके अतिरिक्त रेडियोलॉजिस्ट द्वारा एक्सरे/सी0टी0 स्कैन की रिपोर्टिंग टेली रिपोर्टिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है, जिसके लिए भी प्रति रिपोर्टिंग रू0 50/–मात्र की दर से भुगतान किया जा सकता है। 4. किसी भी Treating consultant द्वारा परामर्श के उपरान्त आवश्यकतानुसार अल्ट्रासाउण्ड करवाने हेतु सीधे रेडियोलॉजिस्ट को भेजा जा सकता है। साथ ही M.O. द्वारा भी स्क्रीनिंग अल्ट्रसाउण्ड करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार रेडियोलॉजिस्ट को रेफर किया जा सकता है। 5. प्रतिदिन रेडियोलाजिस्ट द्वारा किए गये अल्ट्रासाउण्ड की लॉगबुक का रेडियोलॉजी विभाग के द्वारा रख–रखाव किया जायेगा तथा विभागाध्यक्ष, रेडियोलॉजी द्वारा सत्यापन के उपरान्त चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से भुगतान हेतु वित विभाग को प्रेषित किया जाएगा। 6. संलग्नक लिस्ट में बिन्दु संख्या–01 पर वर्णित स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउण्ड पूर्व की भॉति विश्वविद्यालय में M.O. द्वारा किये जाते रहेंगे तथा बिन्दु संख्या–05 से 23 पर वर्णित अल्ट्रासाउण्ड रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किये जायेंगे। 7. विश्वविद्यालय में आकस्मिक रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता को देखते हुए उपरोक्त शर्तो पर वाक इन इन्टरव्यू के माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट को नियुक्त किया जा सकता है।

<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u> :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा बिंदु संख्या 01 से 07 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित संस्तुतियॉ करते हुए उक्त एजेंडा बिंदु को कार्यपरिषद की 15वीं बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की गयी :–

1. मरीज हित में विश्वविद्यालय में रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता को देखते हुए वाक इन इन्टरव्यू के माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट की संविदा पर नियुक्ति करने पर असिस्टेंट प्रोफेसर(संविदा) को नियत वेतन रू0 1,20,000/–की धनराशि प्रदान की जाएगी। उक्त वेतन के अतिरिक्त रेडियोलॉजिस्ट को प्रतिदिन

चिकित्सा अधीक्षक
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
UPUMS, Saifai

चिकित्सालय में आने–जाने हेतु conveyance incentive रूप में रू0 1000/– धनराशि का प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा।

2. यदि उक्तानुसार संविदा पर फुल टाईम (08 घंटे) रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो पाये तो अल्ट्रासाउण्ड/एक्सरे/सी0टी0 स्कैन के रिपोर्टिंग हेतु रेडियोलॉजिस्ट की पार्ट टाईम सेवाएं ली जा सकती हैं, जिसमें 04 घंटे की सेवा प्रतिदिन उपलब्ध कराने पर रू 5000/– (inclusive of conveyance incentive) मात्र पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
3. आकस्मिक परिस्थितियॉ जैसे लाइफ सेविंग एवं लिम्ब सेविंग की स्थिति में रेडियोलॉजिस्ट को बुलाए जाने पर रेडियोलॉजिस्ट को प्रति विजिट–प्रति USG रू0 500 की धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
4. बिंदु संख्या 01 एवं 02 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत रेडियोलॉजिस्ट की सेवा प्राप्त न होने की स्थिति में रेडियोलॉजिस्ट द्वारा एक्सरे/सी0टी0 स्कैन की रिपोर्टिंग टेली रिपोर्टिंग के माध्यम से भी की जा सकती है, जिसके लिए प्रति रिर्पोटिंग एम0आर0आई0/सी0टी0 स्कैन हेतु रू0 300 एवं एक्सरे हेतु रू0 50 की दर से भुगतान किया जाएगा।
5. किसी भी Treating Consultant द्वारा परामर्श के उपरान्त आवश्यकतानुसार अल्ट्रासाउण्ड करवाने हेतु सीधे रेडियोलॉजिस्ट को भेजा जा सकता है। साथ ही M.O. द्वारा भी स्क्रीनिंग अल्ट्रसाउण्ड करने के उपरान्त आवश्यकतानुसार रेडियोलॉजिस्ट को रेफर किया जा सकता है।
6. प्रतिदिन रेडियोलाजिस्ट द्वारा किए गये अल्ट्रासाउण्ड की लॉगबुक का रेडियोलॉजी विभाग के द्वारा रख–रखाव किया जायेगा तथा विभागाध्यक्ष, रेडियोलॉजी द्वारा सत्यापन के उपरान्त चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से भुगतान हेतु वित विभाग को प्रेषित किया जाएगा।
7. संलग्नक लिस्ट में बिन्दु संख्या–01 पर वर्णित स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउण्ड पूर्व की भॉति विश्वविद्यालय में M.O. द्वारा किये जाते रहेंगे तथा बिन्दु संख्या–05 से 23 पर वर्णित अल्ट्रासाउण्ड रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किये जायेंगे।

एजेण्डा बिंदु 2.3 विश्वविद्यालय की विभिन्न ओटी में स्थापित C-Arm मशीन के संचालन हेतु रेडियोलॉजी टेक्नीशियन को संबंद्व करने हेतु।	**प्रस्तावना :** विश्वविद्यालय में कार्यरत कतिपय ओटी टेक्नीशियन एवं ओटी असिस्टेंट के द्वारा मा0 कुलपति महोदय को दिनांक 03.03.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में अनुरोध किया गया है कि C-Arm मशीन के संचालन की जिम्मेदारी रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की है। अतः विभिन्न ओटी में स्थापित C-Arm मशीन के संचालन हेतु ओटी टेक्नीशियन एवं ओटी असिस्टेंट के स्थान पर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की सेवाएँ प्राप्त की जाए। **प्रस्ताव :** उपरोक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में हॉस्पिटल बोर्ड की आगामी बैठक में निर्णय लिए जाने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर 05 सदस्यीय समिति (विभागाध्यक्ष रेडियोलॉजी, विभागाध्यक्ष यूरोलॉजी, विभागाध्यक्ष आर्थोपेडिक, विभागाध्यक्ष न्यूरोसर्जरी एवं मुख्य नर्सिंग अधीक्षिका) के माध्यम से आख्या प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :– 1. वर्तमान नियमों एवं गाइडलाइन के अनुसार C-Arm मशीन के संचालन का कार्य चिकित्सालय के विभिन्न ओटी में किन–किन टेक्नीशियन के द्वारा किया जा सकता है। 2. चिकित्सालय में न्यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी ओटी में स्थापित C-Arm मशीन का उपयोग सप्ताह में कितनी बार किया जाता है।

चिकित्सा अधीक्षक
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
UPUMS, Saifai

	3. विश्वविद्यालय में कार्यरत रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की कुल संख्या और उनकी वर्तमान तैनाती के दृष्टिगत क्या बिंदु संख्या 02 में दी गयी ओटी में उनकी तैनाती की जा सकती है अथवा नहीं। यदि नही तो न्यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी ओटी में C-Arm मशीन के संचालन का कार्य रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के द्वारा लिए जाने पर कुल कितने अतिरिक्त रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की विश्वविद्यालय में आवश्यक्ता होगी।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा एजेण्डा बिंदु 2.3 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में निर्देशित किया गया कि विभागाध्यक्ष रेडियोलॉजी की अध्यक्षता में गठित समिति में उप–चिकित्सा अधीक्षक आई0पी0डी0, उप–चिकित्सा अधीक्षक ओ0पी0डी0, विभागाध्यक्ष यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक, विभागाध्यक्ष बीआरआईटी एवं मुख्य नर्सिंग अधीक्षिका को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित बिंदु संख्या 01 से 04 एवं 06 पर विस्तृत आख्या आगामी हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की गयी :–

1. वर्तमान नियमों एवं गाइडलाइन के अनुसार C-Arm मशीन के संचालन का कार्य चिकित्सालय के विभिन्न ओटी में किन–किन टेक्नीशियन के द्वारा किया जा सकता है।
2. चिकित्सालय में न्यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी ओटी में स्थापित C-Arm मशीन का उपयोग सप्ताह में कितनी बार किया जाता है।
3. विश्वविद्यालय में कार्यरत रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की कुल संख्या और उनकी वर्तमान तैनाती के दृष्टिगत उनके द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यो की ऑडिट आख्या।
4. रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की वर्तमान तैनाती के दृष्टिगत क्या बिंदु संख्या 02 में दी गयी ओटी में उनकी तैनाती की जा सकती है अथवा नहीं।
5. पैरामेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत बीआरआईटी के विद्यार्थियों को C-Arm मशीन के संचालन में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी एवं आर्थोपेडिक विभाग की ओटी में C-Arm मशीन के संचालन हेतु पोस्टिंग की जा सकती है या नहीं।
6. प्रशासन एवं चयन प्रकोष्ठ के द्वारा वर्तमान में विश्वविद्यालय में टेक्नीशियन के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर संविदा पर रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव।

एजेण्डा बिंदु 2.4 बाल रोग विभाग के अन्तर्गत Human Milk Bank की स्थापना हेतु।	**प्रस्तावना :** डा0 दिनेश कुमार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग के द्वारा पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि भविष्य में न्यू ओ0पी0डी0 बिल्डिंग के पंचम तल पर संचालित न्यूरोलॉजी विभाग का सुपर स्पेशियलिटी बिल्डिंग में स्थानान्तरण होने के पश्चात् इस स्थान का उपयोग Human Milk Bank हेतु बाल रोग विभाग के द्वारा किया जाएगा। डा0 दिनेश कुमार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि Human Milk Bank की स्थापना हेतु कुल क्षेत्रफल 350 स्कावयर मीटर आवश्यक है।

चिकित्सा अधीक्षक
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
UPUMS, Saifai

	प्रस्ताव : बाल रोग विभाग में Human Milk Bank की स्थापना का कार्य अति महत्वपूर्ण कार्य है अतः उक्त कार्य को करवाने मे विलम्ब उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रस्तावित किया जाता है कि न्यू ओ0पी0डी0 के पंचम तल पर न्यूरोलॉजी विभाग की रिहैबिलिटेशन लैब में स्थापित मशीन जो वर्तमान में कन्डम हो चुकी है को हटवाते हुए उक्त स्थान को Human Milk Bank हेतु बाल रोग विभाग के द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। अतः उक्त क्रम में न्यूरोलॉजी विभाग की रिहैबिलिटेशन लैब का Human Milk Bank के रूप में प्रयोग करने हेतु विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी एवं विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग से विचार विमर्श किया जाना प्रस्तावित है।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में न्यूरोलॉजी विभाग की रिहैबिलिटेशन लैब के स्थान का Human Milk Bank की स्थापना हेतु प्रयोग किए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी विभाग के द्वारा सहमति प्रकट की गयी। विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी विभाग से प्राप्त सहमति के क्रम में अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया गया कि न्यू ओ0पी0डी0 के पंचम तल पर न्यूरोलॉजी विभाग की रिहैबिलिटेशन लैब में स्थापित मशीन जो वर्तमान में क्रियाशील नहीं है को तत्काल उक्त स्थान से हटवाना सुनिश्चित किया जाए। विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी विभाग के द्वारा रिहैबिलिटेशन लैब से मशीन के हटने के पश्चात उक्त मशीन के कन्डमनेशन हेतु कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा एवं विभागाध्यक्ष, बाल रोग विभाग के द्वारा न्यूरोलॉजी विभाग की रिहैबिलिटेशन लैब के खाली स्थान पर Human Milk Bank की स्थापना हेतु कार्यवाही की जाएगी।	
एजेण्डा बिंदु 2.5 Internal Development Committee गठित करते हुए विश्वविद्यालय के समस्त विभागों में मॉडिफिकेशन/ अतिरिक्त कन्सट्रक्शन के कार्य करवाए जाने के संबंध में।	**प्रस्तावना** : हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक के एजेण्डा बिंदु 1.16 में विभिन्न विभागों में मॉडिफिकेशन/ अतिरिक्त कन्सट्रक्शन से संबंधित प्रेषित प्रस्ताव को टेंडर के माध्यम से किए जाने की संस्तुति प्रदान करने हेतु Internal Development Committee गठित करने की संस्तुति की गयी थी। उक्त क्रम में की गयी कार्यवाही निम्नवत है :– 1. पत्रांक संख्या 1002/एमएस/169/ यूपीयूएमएस /2025–26 दिनांक 03 जनवरी, 2026 के द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों से उनके कार्यालय में प्रस्तावित मॉडिफिकेशन/ अतिरिक्त कन्सट्रक्शन के कार्य हेतु चिन्हित स्थल के साथ सुस्पष्ट प्रस्ताव मांगे गए। 2. कार्यालय आदेश संख्या 1023/एमएस/169/ यूपीयूएमएस /2025–26 दिनांक 17 जनवरी, 2026 के द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त मॉडिफिकेशन/ अतिरिक्त कन्सट्रक्शन के कार्य हेतु प्राप्त प्रस्तावों के औचित्य का परीक्षण करते हुए उचित पाए गए प्रस्तावों हेतु टेंडर किए जाने हेतु Internal Development Committee का गठन किया गया। 3. बिंदु संख्या 01 पर अंकित पत्रांक के क्रम में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों की संकलित सूची तैयार कर अधिशासी अभियंता को पत्रांक 1077/एमएस/ 179/यूपीयूएमएस/2025–26 दिनांक 05 फरवरी द्वारा प्रेषित की गयी एवं निदेर्शित किया गया कि उप–चिकित्सा अधीक्षक आईपीडी, कनिष्ठ अभियंता सिविल एवं विद्युत संबंधित विभागाध्यक्ष से समन्वय स्थापित करते हुए विभिन्न विभाागों में प्रस्तावित कार्य हेतु स्थलीय निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। प्रस्तावित कार्यस्थल का

चिकित्सा अधीक्षक
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
UPUMS

	निरीक्षण करने के उपरांत संबंधित कार्य को करवाने हेतु मानचित्र के साथ विस्तृत प्रस्ताव (जिसके आधार पर टेण्डर किया जा सके) 03 कार्यदिवस में चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। 4. अत्यंत खेद का विषय है कि उक्त पत्र जारी करने एवं चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा कई बार मौखिक रूप से एवं प्रत्यक्ष रूप से रिमांइड कराने के पश्चात भी अधिशासी अभियंता के स्तर से उक्त आख्या लंवित एवं अप्राप्त है। अधिशासी अभियंता के द्वारा उक्त कम में कोई भी कार्यवाही की सूचना चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी, जिसके अभाव में विभागीय मॉडिफिकेशन/ अतिरिक्त कन्सट्रक्शन का कार्य नहीं किया जा सका है। **<u>प्रस्ताव :</u>** उक्त कम में निम्नलिखित कार्यवाही प्रस्तावित है:– 1. अधिशासी अभियंता से पत्रांक 1077/एस/179/यूपीयूएमएस/2025–26 दिनांक 05 फरवरी के द्वारा निर्देशित किए गए कार्यो को वर्तमान अवधि तक लंबित रखे जाने के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। 2. अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया जाए कि पत्रांक 1077/एमएस/ 179/यूपीयूएमएस/2025–26 दिनांक 05 फरवरी के माध्यम से मांगी गयी सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में अग्रेतर कार्यवाही हेतु 07 दिवसों में प्राप्त करवाना सुनिश्चित करें।
<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u> :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा एजेण्डा बिंदु 2.5 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के कार्यों को गैर वेतन मद से किए जाने की संस्तुति प्रदान करते हुए अधिशासी अभियंता निम्नवत निर्देश प्रदान किए गए :– 1. पत्रांक 1077/एमएस/179/यूपीयूएमएस/2025–26 दिनांक 05 फरवरी के माध्यम से मांगी गयी सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव 07 कार्यदिवस में चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। 2. विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में मॉडिफिकेशन/अतिरिक्त कन्सट्रक्शन से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों में प्रत्येक बिल्डिंग के निर्धारित फ्लोर पर माह फरवरी में Internal Development Committee के द्वारा चिन्हित स्थलों पर रजिस्ट्रेशन काउंटर एवं फार्मेसी काउंटर के प्रस्ताव को सम्मिलित करते हुए उक्त कार्य को करवाए जाने हेतु अनुमानित लागत का विवरण तैयार कर 07 दिवसों में प्रेषित किया जाए। 3. अनुमानित लागत से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात उक्त कार्य को ओपेन टेंडर/ अन्य किसी माध्यम से किए जाने हेतु निर्णय लिया जाएगा।	
<u>एजेण्डा बिंदु</u> 2.6 विश्वविद्यालय की ओपीडी में प्रतिदिन चिकित्सा हेतु आने वाले मरीजों, वरिष्ठ नागरिक एवं स्टाफ हेतु ओपीडी पर्चो का	**<u>प्रस्तावाना :</u>** मा0 कुंलपति महोदय के द्वारा दिनांक 26.02.2026 को विश्वविद्यालय के 500 बेडेड सुपरस्पेशलिटी बिल्डिंग के औचक निरीक्षण के उपरांत जारी कार्यवृत्त संख्या 79/कु0का/2420सीडी/कार्या0आदे0/2025–26 दिनांक 02 मार्च, 2026 के बिंदु संख्या 05 पर 'न्यूरो मेडिसिन ओपीडी के निरीक्षण के दौरान पेशेन्ट के द्वारा ओपीडी में पर्चे के नम्बर के अनुसार डॉक्टर द्वारा न देखे जाने का अनुरोध किया गया, जिस पर मा0 कुलपति महोदय के द्वारा मरीजों

चिकित्सा अधीक्षक
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
UPUMS, Saifai

अलग–अलग कलर निर्धारित करने के संबंध में।	एवं स्टॉफ के पर्चो के कलर निर्धारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे मरीजों को हो रही असुविधा से निपटा जा सके।' **प्रस्ताव :** मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के कम में स्टाफ/आश्रित, वरिष्ठ नागरिक एवं मरीजों हेतु ओपीडी पर्चो का कलर निम्नलिखित किए जाने हेतु प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है :– 1. स्टाफ/आश्रित – नीला रंग (Blue) 2. वरीष्ठ नागरिक – गुलाबी (Pink) 3. मरीज – सफेद (White)
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा एजेण्डा बिंदु 2.6 पर प्रस्तुत प्रस्ताव की संस्तुति की गयी।	
एजेण्डा बिंदु 2.7 विश्वविद्यालय के समस्त आई0सी0यू0, ओटी, वार्ड एवं विभिन्न कार्यालयों में वितरित किए गए मोबाईल फोन एवं सीयूजी सिम के संबंध में Inter Department Reference पॉलिसी निर्धारित करने के संबंध में।	**प्रस्तावना :** चिकित्सालय के समस्त आई0सी0यू0, ओटी, वार्ड एवं विभिन्न कार्यालयों में मोबाइल फोन एवं सीयूजी सिम उपलब्ध करा दिए गए है। उक्त मोबाइल फोन एवं सीयूजी सिम के प्रयोग हेतु Inter Department Reference पॉलिसी निर्धारित करने की आवश्ययक्ता है। **प्रस्ताव :** चिकित्सालय के समस्त आई0सी0यू0, ओटी, एवं वार्ड में वितरित किए गए मोबाइल फोन एवं सीयूजी सिम संबंधित इन्चार्ज/सीनियर मोस्ट शिफ्ट ड्यूटी नर्सिंग स्टाफ के पास रहेंगे। मरीज के संबंध में Inter Department Reference फार्म पर भरकर फोटो खींचकर संबंधित विभाग में एवं उक्त विभाग के सीयूजी नम्बर पर भेजा जाएगाा। उक्त Reference का दिनांक एवं समय दोनों विभाग के रजिस्टर में मेनटेन किया जाएगा।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा उक्त प्रस्ताव पर संस्तुति देते हुए निर्देशित किया गया कि Inter Department Reference को चिकित्सालय के समस्त आई0सी0यू0, ओटी, एवं वार्ड के संबंधित इन्चार्ज/शिफ्ट ड्यूटी सीनियर मोस्ट नर्सिंग स्टाफ के द्वारा फार्म पर भरकर (हार्डकॉपी) एवं फोटो खींचकर(साफ्ट कॉपी) संबंधित विभाग में एवं उक्त विभाग के सीयूजी नम्बर पर भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त Reference का दिनांक एवं समय दोनों विभाग के रजिस्टर में मेनटेन किया जाएगा ।	
एजेण्डा बिंदु 2.8 विश्वविद्यालय में स्थापित इमरजेन्सी लैब का नामकरण पैथोलॉजी विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष स्व0 डॉ0 पिंकी पाण्डेय के नाम से किये जाने के संबंध में।	**प्रस्तावाना :** स्व0 डॉ0 पिंकी पाण्डेय, पूर्व विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी की दिनांक 09.02.2026 को आकस्मिक निधन पर दिनांक 11.02.2026 को विश्वविद्यालय में हुई शोक सभा में मा0 कुलपति महोदय द्वारा डॉ0 पिंकी पाण्डेय के विश्वविद्यालय में चिकित्सक एवं शिक्षक के रूप में दिए गए योगदान को महत्व देते हुए इमरजेन्सी पैथोलॉजी लैब का नाम डॉ0 पिंकी पाण्डेय के नाम पर करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

चिकित्सा अधीक्षक
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
UPUMS, Saifai

	प्रस्ताव : स्व0 डॉ0 पिंकी पाण्डेय, पूर्व विभागाध्यक्ष पैथोलॉजी विभाग के योगदान को देखते हुए इमरजेन्सी पैथोलॉजी लैब का नाम डॉ0 पिंकी पाण्डेय के नाम पर करने हेतु एजेण्डा बिंदु 2.8 निर्णय हेतु प्रस्तुत है।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा विश्वविद्यालय में स्थापित इमरजेन्सी लैब का नामकरण पैथोलॉजी विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष "डॉ0 पिंकी पाण्डेय इमरजेन्सी स्टेट लैब" के नाम से किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।	
एजेण्डा बिंदु 2.9 दंत विभाग में 06 माह का आब्जर्वरशिप प्रोग्राम प्रारम्भ करने के संबंध में।	**Proposal:** To start a **6-month Observership Program** in the Department of Oral and Maxillofacial Surgery for BDS graduates, in view of the absence of Undergraduate (UG) and Postgraduate (PG) courses in the department. **Background:** At present, there is no Undergraduate (UG) or Postgraduate (PG) program running in the Department of Oral and Maxillofacial Surgery. However, there is a need to promote academic exposure, clinical learning, and skill development among BDS graduates. To utilize the available clinical resources and expertise of the department, it is proposed to initiate an Observership Program. This program will provide structured clinical exposure without leading to the award of any formal degree or diploma. **Justification / Need:** • To enhance clinical exposure and practical learning for BDS graduates. • To utilize departmental infrastructure and faculty expertise effectively. • To create opportunities for candidates seeking clinical experience before higher studies or employment. • To provide cost-effective, skill-based training in Oral and Maxillofacial Surgery through experienced faculty aligned with the University's mission and vision and its social responsibility. **Proposed Guidelines:** 1. Observership will be provided to candidates who have completed their BDS course and are registered with the Dental Council of India (DCI). 2. **Observership Fee:** A fee of Rs.18000/- (3000/- Per Month) for Observership shall be charged in advance from Indian trainees for the selected duration.

चिकित्सा अधीक्षक
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
UPUMS, Saifai

	3. The Observership will be arranged in consultation with the concerned department/discipline. **This Observership will not lead to the award of any degree or diploma.** 4. Observership shall be conducted in the concerned department subject to the consent of the respective Head of Department (HOD) and approval of the concerned Dean. 5. Due to limited hostel accommodation, trainees will be required to make their own arrangements for stay. **The University shall not provide hostel facilities.** 6. Interested candidates must submit their Curriculum Vitae (CV), application in the prescribed format (Annexure-I), and photocopies of relevant certificates/testimonials for evaluation by the concerned Dean. 7. Applications will be processed on a first-come, first-served basis. 8. All correspondence should be addressed to the concerned Dean, Faculty of Dental Sciences, Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah – 206130. 9. The concerned Head of Department (HOD) shall initiate the process by sending a requisition to the concerned Dean, who will forward the proposal with recommendations to the Hon'ble Vice Chancellor for final approval (Annexure-II). 10. As per the consent of the Head of the Department and confirmation from Account Section about Fee, candidate will be allowed for observership. (Annexure-III) 11. The Final Observership Completion Certificate shall be issued by the concerned Dean after receipt of the completion report and No Dues Certificate (Annexure-IV and V). 12. The Hon'ble Vice Chancellor shall have the authority to modify, suspend, or terminate the Observership Program at any time without prior notice, if deemed necessary in the interest of the University. **Proposal for Approval:** The above proposal for initiation of a 6-month Observership Program in the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, along with the outlined guidelines, is submitted for kind consideration and approval of the Hospital Board, UPUMS, Saifai. **Recommended Approval:** The Hospital Board is requested to kindly approve the proposal.

<u>हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय</u> :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय में आब्जरर्वशिप प्रोग्राम सभी विभागों में लागू करने हेतु एक समान पॉलिसी बनाने के लिए संकायाध्यक्ष चिकित्सा संकाय की अध्यक्षता में समस्त संकायों के संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार–नामित सदस्य एवं वित्त अधिकारी–नामित सदस्य को सम्मिलित करते

चिकित्सा अधीक्षक
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
UPUMS, Saifai

हुए एक समिति गठित की जाए। समिति द्वारा तैयार एसओपी को विद्या परिषद की आगामी बैठक में निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी।

एजेण्डा बिंदु 2.10 ब्लड बैंक TTI लैब में ID-NAT मशीन (नवीन उपकरण) की स्थापना हेतु M/s POCT Service द्वारा नवीनीकरण कार्य का प्रस्ताव।	**प्रस्तावनाः** वर्तमान में ब्लड डोनर्स की ID-NAT (Individual Donor-Nucleic Acid Testing जॉच संस्थान के बाहर एनएचएम आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से कराई जा रही है। M/s POCT Service द्वारा "Supply & Installation of Maintenance Free ID-NAT System" हेतु पूर्व से प्रभावी एमओयू में उक्त सर्विस को सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जिसके क्रम में JDMM कार्यालय द्वारा पत्रांक 680 /UPUMS/MM&D/24•7/BB&NAT (2442&CD/25&26), दिनांक 05.01.2026 के माध्यम से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त करते हुये सप्लाई ऑर्डर निर्गत किया जा चुका है। उक्त मशीन के इंस्टॉलेशन हेतु ब्लड बैंक TTI (Transfusion Transmitted Infection) लैब में नवीनीकरण का कार्य होना प्रस्तावित है। **पृष्ठभूमिः** ID-NAT (Individual Donor-Nucleic Acid Testing) मशीन की स्थापना प्रारंभिक रूप से 500 बेडेड बिल्डिंग में उपयुक्त होती परंतु तकनीकी कारणों से वर्तमान में यह स्थापना ब्लड बैंक (पुरानी बिल्डिंग के 3 फ्लोर) की TTI (Transfusion Transmitted Infection) लैब में नवीनीकरण उपरांत ही संभव हो पाना प्रस्तावित है। **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्षः** TTI(Transfusion Transmitted Infection) लैब के नवीनीकरण एवं ID-NAT (Individual Donor-Nucleic Acid Testing) मशीन की स्थापना से संबंधित समस्त व्यय M/s POCT Service द्वारा वि"वविद्यालय के साथ संपादित MOU दिनांक 08.11.2019 के अनुसार वहन किया जाना प्रस्तावित है। संस्थान पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा। भविष्य में 500 बेडेड बिल्डिंग में तकनीकी कारणों के पूर्ण होने पर मशीन को वहां स्थानांतरित कर पुनः स्थापित किया जाएगा जिसका व्यय M/s POCT Service द्वारा वहन किया जाना प्रस्तावित है। **प्रस्तावः** ID-NAT (Individual Donor-Nucleic Acid Testing) मशीन की स्थापना हेतु ब्लड बैंक TTI (Transfusion Transmitted Infection) लैब के नवीनीकरण का कार्य M/s POCT Service द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए, विश्वविद्यालय पर कोई भी अतिरिक्त व्यय भार नहीं आएगा।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा एजेण्डा बिंदु 2.10 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में एनएचएम के द्वारा अलीगढ में स्थापित आउटसोर्सिंग एजेन्सी से Nucleic Acid Testing (NAT) की जॉच कराई जा रही है, अतः संयुक्त निदेशक(सामग्री प्रबंधन) द्वारा संबंधित फर्म के द्वारा विश्वविद्यालय में उक्त जॉच को किए जाने के संबंध में पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव पर आवश्यक्तानुसार एनएचएम

चिकित्सा अधीक्षक
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
UPUMS, Saifai

आउटसोर्सिंग एजेन्सी से पुनः रिप्रजेन्टेशन प्राप्त करते हुए 07 कार्यदिवस में Nucleic Acid Testing (NAT) हेतु विस्तृत प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं एजेण्डा बिंदु 2.10 पर प्रस्तुत प्रस्ताव को अंतिम निर्णय होने तक होल्ड किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

एजेण्डा बिंदु 2.11 स्कालरशिप हेतु नामित विद्यार्थियों/यू0जी0 विद्यार्थी एवं जे0आर0 हेतु AEBAS रजिस्ट्रेशन की आवश्यक्ता पर निर्णयार्थ।	**प्रस्तावना:** दिनांक 04.11.2025 को प्रतिकुलपति महोदय की अध्यक्षता में AEBAS के संबंध में आहूत बैठक में स्कालरशिप हेतु नामित विद्यार्थियों/यू0जी0 विद्यार्थी एवं जे0 आर0 हेतु AEBAS रजिस्ट्रेशन की आवश्यक्ता पर निर्णय लेने हेतु नोडल ऑफिसर स्कालरशिप के द्वारा हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में चर्चा कर ली जाए। **प्रस्ताव :** अतः उक्त संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं को हॉस्पिटल बोर्ड के संज्ञान में लाया जाता है :– 1. स्कालरशिप के नोडल ऑफिसर डॉ0 विद्या रानी द्वारा अवगत कराया गया कि स्कालरशिप हेतु AEBAS रजिस्ट्रेशन की आवश्यक्ता नहीं है। 2. जे0आर0 के संबंध में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में पी0जी0 जे0आर0 एवं नान पी0जी0जे0आर0 दोनो हेतु AEBAS रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता है, किंतु नान पी0जी0जे0आर0 का वेतन AEBAS उपस्थिति के आधार पर निर्गत न होने के कारण उनके द्वारा नियमित रूप से AEBAS उपस्थिति दर्ज नहीं की जाती है। अतः उक्त दोनों बिंदुओं पर हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में चर्चा प्रस्तावित है।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा उक्त प्रकरण में निम्नलिखित संस्तुतियॉ प्रदान की गयी।

1. स्कालरशिप से संबंधित समस्त प्रकरण निर्णय हेतु विद्या परिषद की बैठक में ही प्रस्तुत किए जाए।
2. विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिक (नियमित/आउटसोर्सिंग) की बायोमेट्रिक उपस्थिति को सीएसी विभाग के द्वारा प्रतिमाह संबंधित विभागाध्यक्ष को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्रेषित किया जाएगा। प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा प्रतिमाह बायोमेट्रिक उपस्थिति को मैनुअल उपस्थिति से मिलान करते हुए प्रमाणित किया जाएगाा एवं 24 घंटे के अंदर वेतन निर्गत करने हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
3. विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त पी0जी0जे0आर0/नॉनपी0जी0जे0आर0(बॉड)/एस0आर0/एस0आर0 (बॉड) जिनका AEBAS पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है किंतु क्लीनीकल पोस्टिंग को कारण यदि किसी वजह से उनके द्वारा इन/आउट पंचिग नहीं की जा रही है तो प्रतिदिन ड्यूटी करते समय किसी एक समय पर पंचिग किया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे पी0जी0जे0आर0/नॉनपी0जी0जे0आर0(बॉड)/एस0आर0/एस0आर0 (बॉड) जिनका AEBAS पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, प्रभारी सीएसी उक्त रजिस्ट्रेशन को अविलम्ब करवाना सुनिश्चित करें।
4. समस्त पी0जी0जे0आर0/नॉनपी0जी0जे0आर0(बॉड)/एस0आर0/एस0आर0 (बॉड) जिन्होंने क्लीनिकल पोस्टिंग के समय ड्यूटी के कारण इन/आउट पंच की जगह सिंगल पंचिग की है, को संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा इनकी मैनुअल उपस्थिति/पोस्टिंग के आधार पर वेतन निर्गत करने हेतु प्रमाणित किया जाएगाा।

चिकित्सा अधीक्षक
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
UPUMS Saifai

5. बिंदु संख्या 02 एवं 03 में दी गयी व्यवस्था हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की अध्यक्षता में प्रभारी सीएसी एवं वित्त, प्रशासन द्वारा नामित प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक समिति गठित की जाएगी। उक्त समिति विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिक(नियमित/आउटसोर्सिंग) एवं समस्त पी0जी0जे0आर0/नॉनपी0जी0जे0आर0(बॉड)/एस0आर0/एस0आर0 (बॉड) को बायोमेट्रिक मशीन/AEBAS में रजिस्टर करवाने हेतु अपना प्रस्ताव 01 माह में प्रस्तुत करेगी।

एजेण्डा बिंदु 2.12 ओपीडी में दवाईयों का वितरण 05 दिन के स्थान पर 07 दिवस हेतु किए जाने के संबंध में ।	**प्रस्तावना:** मा0 कुलपति महोदय की ईमेल आईडी पर प्राप्त मरीज के ईमेल में विनम्र अनुरोध किया गया है कि विश्वविद्यालय की ओपीडी के द्वारा समस्त मरीजों को 05 दिन के स्थान पर 07 दिवसों की दवाईयॉ उपलब्ध कराई जाए जिससे, दवाई खाने में कोई व्यवधान न हो। **प्रस्ताव :** चिकित्सालय में पूर्व से लम्बे ईलाज की स्थिति में चिकित्सक द्वारा ओपीडी पर्चे पर फोलो अप बुकलेट लिखने पर ओपीडी बिलिंग काउन्टर पर रू0 50 की धनराशि जमा करने पर फोलो अप बुक संबंधित मरीज को निर्गत कर दी जाती है जिस पर 15 दिन की दवाईयॉ उपलब्ध कराई जाती हैं। किंतु मा0 कुलपति महोदय को प्रेषित पत्र के कम में फार्मेसी काउन्टर से मरीज को 05 दिवसों के स्थान पर 07 दिवसों की दवा उपलब्ध करवाने हेतु हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में चर्चा प्रस्तावित है।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा एजेण्डा बिंदु 2.12 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के कम में निम्नलिखित संस्तुति प्रदान की गयी :–

1. मरीज को ओपीडी पर्चे पर एंटीबायोटिक दवा अधिकतम 05 दिवस हेतु(चिकित्सक के विवेकानुसार) और अन्य दवाईयॉ 07 दिवस हेतु फार्मेसी काउंटर के द्वारा प्रदान की जाएंगी।
2. दीर्घकालीन ईलाज एवं असाध्य रोग हेतु मरीज को उनकी फोलोअप बुकलेट पर 15 दिन के स्थाान पर 30 दिन हेतु दवाईयॉ फार्मेसी काउंटर के द्वारा प्रदान की जाएंगी।

एजेण्डा बिंदु 2.13 चिकित्सालय में पैदा होने वाले बच्चों को JSSK के माध्यम से जॉचे निःशुल्क प्रदान करने हेतु।	**प्रस्तावना :** विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 660/एमएस/यूपीयूएमएस/2025–26 दिनांक 06 अक्टूबर 2025 के कम में कार्यालय आदेश संख्या 1063/एमएस /यूपीयूएमएस /25–26 दिनांक 31 जनवरी, 2026 के द्वारा पुनः समस्त संबंधित विभागाध्यक्षों को चिकित्सालय में पैदा होने वाले बच्चों को JSSK के माध्यम से HPV 15&18 genotyping, BHCG, PAPPA, Double Marker, AFP, UE_3, Triple Marker, PIGF, TSH, G6PD, Tot. Gal, IRT, PKU, 170HP, Biotinidase, Full NBS जॉचे निःशुल्क प्रदान की जा रही सुविधा से सूचित कर तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

चिकित्सा अधीक्षक
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
UPUMS Saifai

	प्रस्ताव : JSSK के माध्यम चिकित्सालय में पैदा होने वाले बच्चों को निःशुल्क जॉच सुविधा प्रदान करने हेतु जारी किए गए कार्यालय आदेश पर हॉस्पिटल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना प्रस्तावित है।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा चिकित्सालय में पैदा होने वाले बच्चों को JSSK के माध्यम से जॉचे निःशुल्क किए जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।	
एजेण्डा बिंदु 2.14 विश्वविद्यालय के रेडियोडायग्नोसिस विभाग में मैमोग्राफी जॉच हेतु निर्धारित शुल्क को स्वीकृति प्रदान करने हेतु।	**प्रस्तावना :** कार्यालय आदेश संख्या 83/सीएमएस(48)/ यूपीयूएम एस /2025–26 दिनांक 11 फरवरी, 2026 के माध्यम से केजीएमयू, एसजीपीजीआईएमएस, आरएमएल में प्रचलित दरों में से एल–1 दर का चयन करते हुए रेडियोडायग्नोसिस विभाग के द्वारा मैमोग्राफी जॉच हेतु शुल्क का निर्धारण किया गया है। **प्रस्ताव :** चिकित्सालय में मरीजों को मैमोग्राफी जॉच की सुविधा प्रदान करने हेतु कार्यालय आदेश संख्या 83/सीएमएस(48)/ यूपीयूएम एस /2025–26 दिनांक 11 फरवरी, 2026 के माध्यम से निर्धारित जॉच शुल्क पर अनुमोदन प्राप्त करना प्रस्तावित है।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा मरीजों को मैमोग्राफी जॉच की सुविधा प्रदान करने हेतु निर्धारित जॉच शुल्क को संस्तुति प्रदान की गयी।	
एजेण्डा बिंदु 2.15 विश्वविद्यालय के द्वारा नियमित नई जॉचों हेतु शुल्क निर्धारण करने के संबंध में।	**प्रस्तावना :** विश्वविद्यालय के द्वारा नियमित नई जॉचों हेतु शुल्क निर्धारण किए जाने की तत्काल आवश्यक्ता है। हॉस्पिटल बोर्ड की प्रथम बैठक में चिकित्सालय के विभिन्न प्रोसिजर हेतु शुल्क निर्धारित किए जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था को संस्तुति प्रदान की गयी थी :– 1. विभागों द्वारा ऐसे प्रोसिजर जिनके हेतु प्रथम बार शुल्क निर्धारित किया जाना उक्त हेतु एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, के0जी0एम0यू0 एवं आर0एम0एल0 से दर प्राप्त करते हुए एल–1 दर को आधार मानते हुए शुल्क निर्धारित किया जाए। 2. एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, के0जी0एम0यू0 एवं आर0एम0एल0 से दर प्राप्त न होने की दशा में एम्स दिल्ली से उक्त प्रोसिजर हेतु दरें प्राप्त की जाएं। 3. एम्स दिल्ली से उक्त प्रोसिजर हेतु दरें प्राप्त होने की दशा में सी0जी0एच0एस0 में उक्त प्रोसीजर हेतु निर्धारित दरों को लिया जाए । **प्रस्ताव :** अतः नियमित नई जॉच हेतु चिकित्सालय के द्वारा शुल्क निर्धारण किए जाने हेतुं निम्नलिखित व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है :–

चिकित्सा अधीक्षक
डा0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
U.P.U.M.S. Saifai

	1. विभागों के द्वारा केजीएमयू, आरएमएल, एसजीपीजीआईएमएस में प्रचलित दरों को प्राप्त करते हुए एल–1 दर को आधार मानते हुए शुल्क निर्धारित किया जाए। 2. एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, के0जी0एम0यू0 एवं आर0एम0एल0 से दर प्राप्त न होने की दशा में एम्स नई दिल्ली से नई प्रस्तावित जॉच हेतु दरें प्राप्त की जाएं। 3. एम्स नई दिल्ली से भी नवीन जॉच हेतु दरें प्राप्त न होने की दशा में आई0एन0आई0(Institute of National Importance) अन्य एम्स एवं सी0जी0एच0एस0 से नई प्रस्तावित जॉच हेतु दरें प्राप्त की जाएं।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा विश्वविद्यालय में नियमित नई जॉचों हेतु शुल्क निर्धारण करने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को संस्तुति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिंदु 2.16 मेडिसिन वार्ड के मेल एवं फिमेल वार्ड के बेड पर मरीजों की संख्या उपलब्ध बेड से अधिक होने पर निर्णयार्थ।	**प्रस्तावना :** मेडिसिन विभाग के द्वारा संज्ञान में लाया गया कि अक्सर मेडिसिन वार्ड के मेल वार्ड में मरीजों की संख्याा उपलब्ध बेड से अधिक हो जाती है, ऐसी स्थिति में मरीज हेतु बेड उपलब्ध करवाए जाने में प्रतिदिन समस्या का सामना करना पड़ता है। **प्रस्ताव :** मेडिसिन विभाग के मेल वार्ड में मरीज की संख्या अधिक होने पर संबंधित मरीजों को मेडिसिन विभाग के फिमेल वार्ड में एवं फिमेल वार्ड में मरीज की संख्या अधिक होने पर फिमेल मरीज को मेल वार्ड में उपलब्ध बेड पर एडमिशन दिये जाने पर चर्चा प्रस्तावित है।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा एजेण्डा बिंदु 2.16 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित संस्तुति दी गयी :–

1. किसी भी दशा में विभाग के द्वारा पुरूष मरीज को महिला मरीज के बेड पर एवं महिला मरीज को पुरूष मरीज के बेड पर स्थाानान्तरित नहीं किया जाएगा।
2. विभाग में मरीज की संख्या अधिक होने पर एवं बेड की अनुपलब्धता की स्थिति में महिला/पुरूष मरीज को किसी अन्य विभाग के महिला/पुरूष बेड पर ही स्थाानान्तरित किया जाएगा।
3. चिकित्सालय के विभिन्न वार्ड में भर्ती उपचाररत मरीज को ठीक होने के उपरांत तत्काल डिस्चार्ज किया जाए, जिससे नवीन भर्ती मरीज हेतु बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
4. बिंदु संख्या 01 से 03 पर पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष/संबंधित चिकित्सक की सुनिश्चित होगी।

एजेण्डा बिंदु 2.17 विभागाध्यक्ष यूरोलॉजी विभाग के द्वारा सुपर स्पेशिलिटी ओटी की सेवाएँ शुरू करने के संबंध में।	**प्रस्तावना :** विभागाध्यक्ष यूरोलॉजी डॉ0 मुबासिर अली खान के द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में यूरोलॉजी विभाग के पास एक ओटी टेबल है, विभाग के सुचारू संचालन हेतु सुपर स्पेशिलटी की ओटी में यूरोलॉजी की सेवाओं के शुरू करने की अनुमति प्रदान करना चाहें।

चिकित्सा अधीक्षक
डा0प0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
UPUMS, Saifai

<table>
<tr><td></td><td>प्रस्ताव : भविष्य में जब सुपरस्पेशलिटी चिकित्सालय में आईपीडी की सेवाएँ शुरू की जाएंगी तब विभागाध्यक्ष यूरोलॉजी को सुपर स्पेशलिटी की ओटी प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।</td></tr>
<tr><td colspan="2">हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड द्वारा एजेण्डा बिंदु 2.17 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति की गयी।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिंदु 2.18

ओल्ड ओपीडी के सीवीटीएस आईसीयू एवं कार्डियोलॉजी आईसीयू के बाहर कॉमन वॉशरूम को महिला रोगी एवं पुरूष रोगी के प्रयोगार्थ के संबंध में।</td><td>प्रस्तावना : सीवीटीएस आईसीयू इन्चार्ज सुश्री रश्मि एम लोयल के द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.03.2026 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सीवीटीएस एवं कार्डियोलॉजी आईसीयू के बाहर स्थित में महिला एवं पुरूष रोगियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे वाशरूम का कॉमन Entrance है, जिस कारण प्रायः रोगियों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है।

प्रस्ताव : सीवीटीएस एवं कार्डियोलॉजी आईसीयू के बाहर स्थित महिला एवं पुरूष रोगियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे कॉमन Entrance वाशरूम को रोगियों की सुरक्षा/निजता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक्तानुसार मॉडिफिकेशन किए जाने हेतु उप्लब्ध ऑप्शन पर विचार करने हेतु हॉस्पिटल बोर्ड में चर्चा किया जाना प्रस्तावित है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा एजेण्डा बिंदु 2.18 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में निम्नवत निर्देशित किया गया :–

प्रत्येक परिस्थिति में चिकित्सालय में भर्ती एवं आने वाले महिला/पुरूष मरीजों का वॉशरूम, महिला/पुरूष मरीज की निजता/सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग–अलग होना चाहिए ।

उप–चिकित्सा अधीक्षक आईपीडी, उप–चिकित्सा अधीक्षक ओपीडी, उप–चिकित्सा अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी ओपीडी, मुख्य नर्सिंग अधीक्षिका एवं कनिष्ठ अभियंता सिविल के द्वारा चिकित्सालय के प्रत्येक फ्लोर पर स्थित वार्ड की वार्ड इन्चार्ज एवं विभागाध्यक्ष से समन्वय स्थापित करते हुए महिला एवं पुरूष रोगियों हेतु उपलब्ध वॉशरूम का भ्रमण किया जाएगा। उक्त भ्रमण के पश्चात 15 दिन के अंदर चिकित्सालय के प्रत्येक फ्लोर पर महिला एवं पुरूष रोगियों के प्रयोग हेतु उपलब्ध वॉशरूम को अलग–अलग चिन्हित करने अथवा पार्टीशन करते हुए उन्हें अलग–अलग किए जाने, एव साथ ही Diabled Friendly Toilet का प्राविधान किये जाने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>एजेण्डा बिंदु 2.19

चिकित्सालय में मरीज के तीमारदार(अधिकतम 02) को किफायती दर रू0 20/– में पेशेन्ट किचिन से भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में।</td><td>प्रस्तावना : माननीय कुलपति महोदय द्वारा चिकित्सायालय में इलाज हेतु दूर–दराज से आने वाले मरीजों के तीमारदारों को किफायती दरों पर आवश्यकतानुसार भोजन उपलब्ध कराने की सुविधा के निर्देशों के क्रम में दिनांक 27.09.2025 को उप–चिकित्सा अधिक्षक (बाह्य सेवाएं) के कार्यालय में मरीज के 01 से 02 तीमारदारों को किफायती दर पर आवश्यकतानुसार भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न के द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. डॉ विजय मिश्रा – उप–चिकित्सा अधीक्षक
2. श्रीमती रूपम दीक्षित – नर्सिंग अधीक्षिका</td></tr>
</table>

चिकित्सा अधीक्षक
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
UPUMS Saifai

	3. सुश्री अलका रानी – वरिष्ठ डायटीशियन 4. श्री मनीष अग्रवाल – प्रतिनिधि, मेसर्स एम0सी0 अग्रवाल, बाह्य सेवा प्रदाता, पेशेन्ट किचन **प्रस्ताव :** बैठक में विचारोपरान्त सर्वसम्मति से लिए गए निम्नलिखित निर्णय मरीजों के तीमारदारों की सुविधा हेतु प्रस्तावित किया जाता है:– 1. मरीज के तीमारदार को आवश्यकतानुसार भोजन किफायती मूल्य रूपये 20/– प्रति थाली की दर से जिसमें 04 रोटी, दाल, सब्जी, रायता एवं चावल शामिल होंगे, उपलब्ध कराया जाएगा। 2. तीमारदाार की संख्या अधिकतम 02 होगी। 3. मरीज के तीमारदान को भोजन की आवश्यक्ता की सूचना पूर्व में पेशेन्ट किचिन मोबाइल न 8931003326 पर निम्नानुसार देनी होगी :– • दोपहर का भोजन जो अपराह्न 12:00 बजे से 01:00 बजे के मध्य उपलब्ध कराया जायेगा एवं जिसकी सूचना पूर्वाहन 09:00 बजे से 10:00 बजे के मध्य देनी होगी। • रात्रि का भोजन जोकि सायं 06.30 बजे से 07.30 बजे के मध्य उपलब्ध कराया जायेगा एवं जिसकी सूचना अपराह्न 03.00 बजे से 04.00 बजे के मध्य देनी होगी। 4. तीमारदार हेतु भोजन सुविधा का विवरण (पैम्फलेट) प्रत्येक वार्ड में चस्पा किया जायेगा। 5. वार्ड इंचार्ज की देख–रेख में पेशेन्ट किचन के प्रतिनिधि द्वारा समयानुसार निर्धारित शुल्क रूपये 20/– लेकर कूपन वितरित कर दिये जाएंगे तथा तथा मरीज के तीमारदार भोजन वितरण के दौरान वितरण करने वाले को कूपन देकर भोजन प्राप्त कर सकेंगे।
हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा चिकित्सालय में मरीज के तीमारदार को किफायती दर में पेशेन्ट किचिन से भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गयी।	
एजेण्डा बिंदु 2.20 मेसर्स अनिल सर्जिकल के द्वारा चिकित्सालय के आईसीयू विभाग में पीसीटी टेस्ट हेतु Europium Immunoassay System को निःशुल्क स्थापित करने के संबंध में।	**प्रस्तावना:** विश्वविद्यालय के चिकित्सालय के आईसीयू विभाग में पीसीटी टेस्ट हेतु Europium Immunoassay System को निःशुल्क स्थापित करने के संबंध मे मेसर्स अनिल सर्जिकल के द्वारा अपना प्रार्थना पत्र 18 मार्च 2026 को प्रस्तुत किया गया है। **प्रस्ताव :** Europium Immunoassay System के द्वारा आईसीयू विभाग में पीसीटी टेस्ट किये जाने हेतु प्रयोग किए जाने वाले कन्सयूमेबल की दर विश्वविद्यालय के पत्रांक 1968/यूपीयूएमएस/एमएम–डिपाट– इमरजेन्सी/168/06–07/23–24 दिनांक 15 मार्च, 2024 के माध्यम से दिनांक 06 फरवरी, 2029 तक के लिए स्थिर की जा चुकी हैं। अतः मेसर्स अनिल सर्जिकल के द्वारा Europium Immunoassay System की आईसीयू विभाग में पीसीटी टेस्ट(पूर्व निर्धारित रेट प्रति टेस्ट दर रू0 679/–)

चिकित्सा अधीक्षक
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
UPUMS, Saifai

	करवाने हेतु निःशुल्क स्थापना के प्रस्ताव पर हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में चर्चा करने हेतु प्रस्तावित।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा आगामी बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रभारी सेन्ट्रल लैब द्वारा 10 दिवसों में आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया :–

1. मेसर्स अनिल सर्जिकल के द्वारा किए जा रहे पीसीटी प्रति टेस्ट का मूल्य एवं विश्वविद्यालय में POCT अथवा किसी अन्य फर्म के द्वारा किए जा रहे पीसीटी टेस्ट का तुलनात्मक विवरण ।
2. मेसर्स अनिल सर्जिकल के द्वारा पीसीटी टेस्ट हेतु उपलब्ध कराए जा रहे Cartridge/Reagent का मूल्य एवं विश्वविद्यालय में POCT अथवा किसी अन्य फर्म के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे Cartridge/Reagent के मूल्य का विवरण।

एजेण्डा बिंदु 2.21 प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विभागीय बिंदु पर निर्णयार्थ।	**प्रस्तावना:** प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा निम्नलिखित विभागीय बिंदु हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में निर्णय लिए जाने हेतु प्रेषित किए गए हैं:– 1- **Dedicated Plastic Surgery ward :** Currently patients are admitted haphazardly in MSW-2, MSW-3(HDU), MSW-3(B ward), FSW and MSW-1, here should be ward with dedicated staff. Suggestion: a) 2 halls in the Pvt. Ward. b) Space in the Old OPD Building (First Floor) 2- **Shifting of Surgical Microscope**: currently High end Operating Microsocpe (Model: Carl Zeiss Kinevo 900) is installed in 500 bedded Hospital. Made arrangement for the shifting of Microscope. Quotation from M/s Virala India Pvt Ltd for Rs. 18,09,000/- had been already submitted. 3- **Posting of at least 2nd year Surgery JR in the Department of Plastic Surgery**: Junior Resident(JR-1) has been posted in the Department of Plastic Surgery. They have recently joined the Department of Surgery and currently have limited exposure to basic surgical skills. kindly post JR3 or JR2 4- **Posting of Senior Resident in Department of Plastic Surgery:** No Senior Resident has been posted in our department. Kindly post Senior Resident at least on rotation basis. **प्रस्ताव :** प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा बिंदु संख्या 01 से 04 पर अंकित बिंदुओं के संबंध में हॉस्पिटल बोर्ड के सदस्यों के द्वारा विचार–विमर्श किए जाने के उपरांत निर्णय लेने हेतु।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा एजेण्डा बिंदु 2.21 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित संस्तुतियॉ की गयी :–

1. प्राइवेट वार्ड के एक हॉल में PMU(Palliative Medicine Unit) स्थापित हो जाने के कारण उक्त हॉल को प्रस्तावित प्लास्टिक सर्जरी वार्ड हेतु प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है।

चिकित्सा अधीक्षक
उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
UPUMS Saifai

2. बिंदु संख्या 02 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण उक्त प्रस्ताव को सुपर स्पेशलिटी की आईपीडी शुरू होने की प्रत्याशा में होल्ड पर रखा जाए।
3. सुपरस्पेशलिटी विभागों में द्वितीय एवं तृतीय साल के ~~एस0आर0~~ PG (J.R.) की रोटेशनल पोस्टिंग लगाई जाए।
4. प्लास्टिक सर्जरी विभागाध्यक्ष द्वारा एनएमसी के मानकीकरण के आधार पर एस0आर0 हेतु सृजित पदों पर भर्ती हेतु प्रभारी चयन प्रकोष्ठ से समन्वय स्थापित करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाए।

एजेण्डा बिंदु 2.22 अस्थि रोग विभाग के ओ0टी0 के दो कक्षों को मॉडयूलर ओ0टी0 में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	**प्रस्तावना :** विभागाध्यक्ष अस्थि रोग विभाग द्वारा दिनांक 11.04.2026 को प्रेषित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अस्थि रोग विभाग के द्वितीय तल पर 03 ओ0टी0 स्थापित हैं। जिनमे से 01 ओ0टी0 मॉडयूलर ओ0टी है एवं वर्तमान में सुचारू रूप से कार्यरत है। शेष 02 ओटी (ओ0टी संख्या 02 एवं 03) को रोगियों की अधिक संख्या एवं बढ़ते हुए सर्जिकल लोड को दृष्टिगत रखते हुए अस्थायी रूप से परिवर्तित कर उपयोग में लाया जा रहा था। उक्त व्यवस्था तत्कालीन आवश्यक्ताओं के दृष्टिगत अस्थायी समाधान के रूप में वर्ष 2016 मे स्थापित की गयी है। समय के साथ इस अस्थायी ओ0टी0 की संरचना एवं सुविधाओं मे अत्यंत गिरावट आई है, जिससे वर्तमान में इनकी कार्यक्षमता, सुरक्षा एवं संक्रमण नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 05 सदस्यीय टीम के द्वारा 07 अप्रैल, 2026 को ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर के किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशे निम्नवत है :– 1. ओ0टी0 संख्या 2 एवं 3 को मानक मॉडयूलर ओ0टी में परिवर्तित किया जाए। 2. जब तक पूर्ण उन्नयन न हो, तब तक इन ओ0टी0 में केवल सीमित एवं कम जोखिम वाले सर्जिकल केस ही किए जाएँ। 3. प्रवेश नियंत्रण प्रणाली (Air Lock/ Sterile Zoning) तत्काल स्थापित की जाए। 4. फ्लोरिंग, फॉल्स सीलिंग का पुनर्निर्माण किया जाए। 5. मानक ओ0टी0 लाइट, ऑक्सीजन एवं सक्शन पेंडेंट की स्थापना सुनिश्चित की जाए। 6. HVAC सिस्टम (तापमान एवं आर्द्रता नियंत्रण) को प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किया जाए। 7. सुरक्षित एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति एवं बैकअप (UPS/Generator) सुनिश्चित किया जाए। 8. स्टेराइल वॉशिग एरिया एवं ग्लव/इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जाए। 9. संक्रमण नियंत्रण के लिए नियमित ऑडिट एवं निगरानी प्रणाली लागू की जाए।

चिकित्सा अधीक्षक
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130

PRO-VICE CHANCELLOR
UPUMS

	प्रस्ताव : 05 सदस्यीय समिति द्वारा अस्थि रोग विभाग की ओ0टी0 संख्या 2 एवं 3 में संबंध में विंदु संख्या 01 से 09 पर की गयी सिफारिशों पर हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में सभी उपस्थित सदस्यों से विचार–विमर्श किया जाना प्रस्तावित है।

हॉस्पिटल बोर्ड का निर्णय :– हॉस्पिटल बोर्ड के द्वारा एजेण्डा विंदु 2.22 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित संस्तुतियॉ की गयी :–

1. विभागाध्यक्ष आर्थोपेडिक अस्थि रोग विभाग की ओ0टी0 02 एवं 03 को मॉडयूलर ओ0टी0 में परिवर्तित किये जाने हेतु स्कोप ऑफ वर्क सहित विस्तृत प्रस्ताव तैयार करते हुए प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
2. अधिशासी अभियंता विभागाध्यक्ष आर्थोपेडिक से समन्वय स्थापित करते हुए अस्थि रोग विभाग की ओ0टी0 02 एवं 03 को मॉडयूलर ओ0टी0 में परिवर्तित किये जाने हेतु आगणन प्रस्तुत करें।

हॉस्पिटल बोर्ड की द्वितीय बैठक उपस्थित समस्त सदस्यों का धन्यवाद करते हुए संपन्न हुई।

चिकित्सा अधीक्षक
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
सैफई, इटावा–206130